संख्या– 300ज्ञ/11-7-19 एन.आर.वाई./90

प्रेषक,

श्री आर.सी. द्विवेदी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 9 जनवरी, 1991

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण हेतु नगरीय मजदूरी योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–4006/9-1-91 दिनांक 25-5-1990 के साथ नेहरू रोजगार योजना की क्रमशः लघु उद्यम योजना तथा नगरीय मजदूरी योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1989-90 में जनपदवार भारत सरकार द्वारा सीधे अवमुक्त की गई धनराशियों का एक विवरण पत्र भेजा गया था। इस विवरण पत्र में उल्लिखित योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि विभिन्न जनपदों के स्थानीय निकायों की जनसंख्या के आधार पर आगणित की गई थी। परन्तु कथित स्टेटमेन्ट के स्तम्भ 5-6 में उल्लिखित नगरीय मजदूरी योजना के जनपदवार आवंटन में उक्त आधार पर कतिपय जनपदों में त्रुटि पाई गई है। उल्लेखनीय है कि इस त्रुटि के समयानुसार ज्ञात न हो सकने के कारण, योजना के केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मध्य वित्त पोषण के निर्धारित मानकानुसार, शासनादेश, संख्या.217ए/11-7-1990 दिनांक 24-11-1990 में अवमुक्त राज्यांश की धनराशि के आगणन में भी गलती हो गई है। चूँकि इस त्रुटि के विवरण में समय लगने की संभावना है, इसलिये प्रकरण पर समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्ति आप संबंधित स्थानीय निकायों को योजनान्तर्गत केन्द्राँश/राज्यांश को उतनी ही धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करें, जो स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर वास्तव में अपेक्षित हो। शेष धनराशि (जो अपेक्षित आवश्यकता से अधिक हो) उसे या तो अपने स्तर पर ही रोक लें अथवा उसे अग्रिम आदेश होने तक व्यय न किये जाने के लिये स्थानीय निकायों को कड़े निर्देश दे दें। इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों का योजनान्तर्गत केन्द्र तथा राज्यांश का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कम हो उसकी सूचना भी शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के कष्ट करें।

भवदीय,

आर.सी. द्विवेदी
संयुक्त सचिव